29/

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

अनुसूची 14 फार्म सं0–162

परगन सोरेन
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–ढाटापाडा न0–203

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 29/2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तार्र सहित
1	2	3
8.8.19	अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 731/रा0 दिनांक 29.07.2019 के द्वारा मौजा– ढाटापाडा, न0–203 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– ढाटापाडा, न0–203 में दिनांक 26.07.2019 को श्री मदन सोरने के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री परगन सोरेन, पिता–चढदंग सोरेन, ग्राम– ढाटापाडा, को मौजा– ढाटापाडा, न0–203 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– ढाटापाडा, न0–203 एक प्रधानी मौजा है। जिसमें प्रधान का पद रिक्त है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री परगन सोरन, पिता–चढदंग सोरेन, ग्राम–ढाटापाडा, थाना–कोटालपोखर, जिला–साहेबगंज. को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री परगन सोरेन एक शिक्षित व्यक्ति है। वे खतियानी रैयत सुफल सोरेन के पोता है। अतएव श्री परगन सोरन प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, बरहरवा के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री परगन सोरेन को मौजा– ढाटापाडा, थाना न0–203 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। ज्ञापांक 364/प्र0 दिनांक- 8.8.19 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	

Scanned with CamScanner